भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3341

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अगस्त, 2017/13 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

पैन कार्ड

3341. श्री तथागत सत्पथीः

श्री डॉ. उदित राजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार भारत में कुल कितने पैन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) व्यक्तियों/हिंदु अविभाजित परिवारों को कितने पैन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) इनमें से कम्पनियों, न्यासों, सोसाइटियों और एनजीओ का प्रतिशत क्रमशः कितना है;

(घ) कितने पैन कार्डों को आधार कार्ड से नहीं जोड़े जाने के कारण रद्द किया गया है; और

(ड.) क्या सरकार ने 'आधार' प्रणाली लागू होने से लेकर अब तक पेंशन भुगतान में हुई गिरावट पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) दिनांक 31.07.2017 तक 32,68,25,653 स्थाई खाता संख्या (पैन) जारी किए जा चुके हैं।

(ख) तथा (ग) वांछित सूचना इस प्रकार है:

स्थिति	आवंटित पैन की संख्या	प्रतिशत
व्यक्ति	317839715	97.25
फर्म	3865443	1.18
हिंदु अविभाजित परिवार	1887435	0.58
कंपनी	1534158	0.47
व्यक्तियों का संघ	845797	0.26
ट्रस्ट	710354	0.22
व्यक्तियों का निकाय	49499	0.02
स्थानीय प्राधिकारी	48968	0.01
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	33786	0.01
सरकार	10498	0.00
कुल	326825653	

'एनजीओ/सोसाइटियों' से संबंधित सूचना पैन डाटाबेस में नहीं रखी जाती है।

(घ) आज की तारीख तक किसी भी पैन कार्ड को आधार से लिंक न होने के कारण रद्द नहीं किया गया है।

(ड.) इस संबंध में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जैसा कि केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के द्वारा बताया गया है कि आधार के कार्यान्वयन के बाद से पेंशन अदायगी में कमी का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।